उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

**OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND**

**Website-http://pwd.uk.gov.in** **E-Mail-eicpwduk@nic.in**


पत्रांक– 426 /54अधिप्राप्ति/18 दिनांक– 21 /05/2018

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/
पी0एम0यू0ए0डी0बी0/
पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0,
देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा/टिहरी/पिथौरागढ़।

विषयः– **प्रदेश के समस्त निर्माण कार्यो हेतु समान दर अनुसूची, सामान्य विशिष्टियां एवं ड्राइंग के सम्बन्ध में ।**

************************************************

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभारी सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन राज्य योजना आयोग देहरादून के पत्र संख्या–621/190एस0ओ0आर0/रा0यो0आ0/ 2018 –19 दिनांक–11.05.2018(प्रति संलग्न)द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवनों में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अपना अभिमत एवं सुझाव एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतः शासकीय पत्र की छायाप्रति मयसंलग्नकों सहित आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आवासीय एवं अनावासीय भवनों में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अपना अभिमत एवं सुझाव 31.05.2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय के भीतर अभिमत एवं सुझाव प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं विशिष्टियों में परिवर्तन से आप सहमत है, तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही कर ली जायेगी ।

*संलग्नः–पत्रानुसार।*

(सत्येन्द्र शर्मा )
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो0नि0वि0, ........................उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0मा0 खण्ड,लो0नि0वि0............................।
3. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
4. 10 अधिप्राप्ति की पत्रावली हेतु ।
5. गार्ड पत्रावली हेतु ।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

I.T. Upload on 22.05.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र सं0 621 /139 SO1/रा0यो0आ0 / 2018—19

प्रेषक,

प्रभारी सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग।
2. प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम / ब्रिडकुल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान।
4. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग — देहरादून : दिनांक 11 मई , 2018

**विषय :— प्रदेश के समस्त निर्माण कार्यों हेतु समान दर अनुसूची, सामान्य विशिष्टियां एवं ड्राइंग।**

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के अनुपालन में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना आयोग के स्तर पर प्रदेश के समस्त शासकीय निर्माण कार्यों हेतु समान दर अनुसूची, समान्य विशिष्टियां एवं ड्राइंग तैयार करने के कार्य का समन्वय किया जा रहा है। इस कम में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, भारत सरकार एवं प्रदेश बनने के पश्चात उत्तराखण्ड में अपनायी जा रही प्रकिया के अध्ययन एवं सम्बन्धित अभिलेखों के संकलन हेतु निर्माण एजेन्सियों के अधिकारियों का एक वर्किंग ग्रुप गठित किया गया था।

वर्किंग ग्रुप द्वारा आवासीय भवनों हेतु श्रेणी I से श्रेणी V के आवासों हेतु लोक निर्माण विभाग की प्रचलित व्यवस्था में आंशिक संशोधन सहित Plinth Area, ड्राइंग एवं सामान्य विशिष्टियां का विवरण, उत्तर प्रदेश राज्य एवं भारत सरकार में अनुमन्यता के तुलनात्मक विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अनावासीय भवनों के लिए उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में अपनायी जा रही कारपेट एरिया एवं अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार में अनुमन्यता से तुलना कर विवरण प्रस्तुत किया गया है।

वर्किंग ग्रुप द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवनो से सम्बन्धित संकलित एवं संस्तुत Plinth Area /Carpet Area, श्रेणीवार अनुमन्यता, संशोधित सामान्य विशिष्टयां, अनुमन्यता सम्बन्धी शासनादेश एवं ड्राइंग की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि कृपया प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अभिमत एवं सुझाव से नियोजन विभाग को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके विभाग से सम्बन्धित, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों के मानक, विशिष्टयां एवं ड्राइंग की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करेगें।

**संलग्नक— उपरोक्तानुसार**

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव (नियोजन )

**प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त पर अपने सुझाव एवं अभिमत से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।**

1. समस्त अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सचिव उत्तराखण्ड शासन ।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव (नियोजन )

# Details of Standard Norms for Accommodation in Govt. offices

**Scale - 1 sqm = 10.76 sq ft.**

| Sl no | Designation | Yojna Bhawan | | C.M Building | | As per Govt. of UP (As per G.O. No G-2299(1)/X-11-639-61 dated 08-06- 1965 of Govt. of U.P.) | | As per Govt. of India (Ministry of Urban development Directorate of Estates (As per letter no. 11015/1/98-Pol.I dated 20-02-2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Size | Area in sq.m | Size | Area ins sqm /sqft | Area In sqft | Area In sqm | Area in sqft | Area in sqm |
| 1. | Principal Secretary/ Secretary (Heads of department including Additional Heads of departments and Additional Secretary and Secretaries to Govt. UP.) | Room<br>6.08x6.00 m<br>3.60x3.18 m<br><br>Toilet<br><br>2.3x2.25 m | 36.48 }<br>11.44 }<br>47.92 sqm<br>or516 sqft<br><br>5.17 sqm<br>or 55.6 sqft | Room<br>6.33x4.50 m<br>4.80x3.66 m<br><br>Toilet<br><br>1.70x1.30 m | 28.48 }<br>17.56 }<br>=46.04sq m<br>or495 sqft<br><br>2.21 sqm<br>or 24 sqft | 300 | 27.88 | 360 | 33 |
| 2. | Additional Secretary | 6.08x4.60 m | 27.96 sqm<br>300.84 sqft | 6.3x4.50 m | 28.35sqm<br>or 305 sqft | 300 | 27.88 | 240 | 22 |
| 3. | Joint/Dy Secretary /PS (Class I officers & other than head of department) including Deputy regional | 5.90x2.90 m | 17.11 sqm<br>or 184 sqft | | | 200-250 | 18.55<br>23.23 | 122 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Director, Superintending Engg., Deputy / Joint Development Commissioner and dupty / Joint Secretary, UP | | | | | | | | |
| 4. | Class II officers & Under Secretary to Govt. | | | | | 150 | 13.78 | | |
| 5. | Section office | 6.0x5.70 m | 34.20 sqm 367.99 sqf | 6.76x4.10 m | 27.71sqm or 298 sqf | | | | |
| 6. | Stenos | | | | | 60 | 5.5 | | |
| 7. | Attached Bathroom | | | | | 50 | 4.6 | | |
| 8. | Bathroom for Staff | | | | | 1 W.C. for 40 persons | | | |
| 9. | Urinal for staff | | | | | 1 for 25 persons | | | |
| 10 | Wash hand basin | | | | | 1 for 25 person | | | |